



जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार



विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brpls.in

Ref: BRPLS/Reg-M&E/1373/18/Vol-II/3335

Date: 11/02/2021


कार्यालय आदेश

बिहार सरकार द्वारा देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े एवं अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों की वित्तीय सहायता के माध्यम से आजीविका, क्षमता वर्धन एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2018 में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की गयी है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व जीविका, ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है।

08 मार्च, 2021 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत क्रमिक वृद्धि कार्यनीति (Graduation Approach) विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर योजना के अंतर्गत हुई उपलब्धियों से संबन्धित पत्रिका प्रकाशित की जाएगी जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले चयनित परिवारों का विवरण दिया जाएगा।

जिला परियोजना प्रबंधकों से अपेक्षा की जाती है कि पत्रिका मुद्रण हेतु चयनित परिवारों से संबन्धित विवरण संलग्न प्रपत्र में राज्य कार्यालय को 22 फरवरी 2021 तक उपलब्ध करा दें। फोटो लेने हेतु गुणवत्ता युक्त कैमरामैन का नियमानुसार चयन करते हुये फोटोग्राफ भी संलग्न किये जाए। फोटोग्राफी के कार्य में हुए व्यय का समायोजन एस.जे.वाई-क्षमता वर्धन मद से किया जाएगा।

संलग्न : चयनित परिवार की विवरणी का प्रारूप


11.2.2021

ब्रज किशोर पाठक
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि :

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक / एस.जे.वाई जिला नोडल
2. राज्य इकाई के सभी कर्मी (एस.जे.वाई)
3. आई.टी कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित

सतत् जीविकोपार्जन योजना

क्रमिक वृद्धि कार्यनीति अंतर्गत योग्य परिवारों का विवरण

जिला :

प्रखंड :

पंचायत :

गाँव :

1. चयनित परिवार का नाम:

2. ग्राम संगठन का नाम :

3. चयनित परिवार की श्रेणी

(देशी शराब एवं ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े परिवार / अनुसूचित जाति, जनजाति / अन्य समुदाय) :

4. योजना अंतर्गत चयनित आजीविका विकल्प :
(सूक्ष्म व्यवसाय / पशुधन / कृषि / विविधिकरण)

5. चयनित आजीविका विकल्प में निवेश की राशि (औसतन):

6. वर्तमान में उत्पादक संपत्ति का मूल्य :

7. मासिक आमदनी (औसतन):

नोट: उपरोक्त प्रारूप में चयनित परिवारों का विवरणी प्रविष्ट करें, जिनकी वर्तमान में मासिक आमदनी औसतन 4000/- (चार हजार रुपए) से अधिक हो एवं योजना अंतर्गत उपलब्ध कराये गए उत्पादक संपत्ति में न्यूनतम 50 % की वृद्धि दर्ज की गयी हो |

प्रारूप भरने वाले कर्मि का नाम :

पद :

दिनांक :

संबन्धित कर्मि का हस्ताक्षर

